संख्या– 3527 / III(2) / 09–13(प्रा0आ0) / 2009

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 05 फरवरी, 2010

विषयः– जनपद टिहरी के विकासखण्ड भिलंगना में अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, घनसाली के अधिशासी अभियन्ता कार्यालय भवन तथा टाईप–2 के आवासों के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्र संख्याः 2982 / 50(355) याता0–पर्व0 / 09–10 दिनांक 30–07–2009 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन, जिसकी लागत 93.85 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि **रू0 89.20 लाख** (रूपये नवासी लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 0.50 लाख (रू0 पचास हजार मात्र) की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2009–10 में व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः

2. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृर्त आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

10. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31 मार्च, 2010 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय।

11. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

12. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80 सामान्य–800 अन्य भवन–09 लोक निर्माण नये कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

13. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– **958/XXVII/(2)/2009 दिनांकः 01 फरवरी, 2010** में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्याः– 3527 (1)/ III(2)/09–13(प्रा0आ0)/2009 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी गढ़वाल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, अष्टम् वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव